PTCUL

# पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 328 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / जी0–4 दिनांकः 18.03.2020

विषय : – कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम के सम्बन्ध में।

"अति-आवश्यक
'समयबद्ध'

निदेशक (वित्त) / निदेशक (परिचालन) / निदेशक (परियोजना)
पिटकुल...........................।

समस्त मुख्य अभियन्ता, पिटकुल................।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 232/XXXi(15)G-04(10)/2020 दिनांक 18.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अंतराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

शासन के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि विद्युत सेवा एक अतिआवश्यक सेवा के अन्तर्गत आती है, अतः परिचालन एवं अनुरक्षण / परीक्षण एवं परिचालन / परियोजना / प्रा0भा0नि0के0 / स्काडा / जानपद / वित्त इत्यादि कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पूर्ण विवरण **जिनकी आवश्यकता कार्यों के निष्पादन हेतु अतिआवश्यक है**, मानव ससांधन एवं प्रशासनिक अनुभाग की ई–मेल (hr@ptcul.org) पर **दिनांक 19.03.2020 के पूर्वाहनः 10:30 बजे तक** अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए यथोचित आदेश निर्गत किये जा सके।

**संलग्नकः– यथापरोक्त**

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / जी–4 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक–निदेशक (मा0सं), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त पत्र को मयसंलग्नक पिटकुल की वेबसाइट में आज ही प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सूचना पट्ट।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

संख्या– 232 / xxxi(15)G–04(सा0) / 2020

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

**सामान्य प्रशासन विभाग** **देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2020**

**विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही / अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी कम में अवगत करानां है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए Social Distancing की सलाह दी है।

2– अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी) / विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष (आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों यथा– स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर) अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलायें जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में अति आवश्यक है तथा शेष कार्मिकों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय बुलाये जाने की दशा में कार्यालय पहुँचकर बताये गए शासकीय कार्य को संपादित करेंगे। जिलाधिकारीगण COVID-19 की रोकथाम तथा अन्य किसी शासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की सेवायें प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे तथा इस उद्देश्य से उनके आदेश पर उक्त अधिकारी / कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति तथा बताए गए कार्य को संपादित कराना बाध्यकारी होगा। यह निर्देश एक सप्ताह (दिनांक 19 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक) तक प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयों में पत्र संख्या 23प / आईडीएसपी / COVID-19 /2020/543, दिनांक 15 मार्च, 2020 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

CS Scanned with CamScanner